रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72

REGISTERED No. D. (D.N.)-72

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 74] नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 25, 1984/फाल्गुन 6, 1905
No. 74] NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 25, 1984/PHALGUNA 6, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती हैं जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय

(श्रम विभाग)

नई दिल्ली, 20 फरवरी, 1984

आदेश

का० आ० 116(अ):—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषय के बारे में इंडियन फारमर्स फर्टिलाइजर कोआपरेटिव लिमिटेड से सम्बद्ध एक औद्योगिक विवाद नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच विद्यमान है ;

और उक्त विवाद में राष्ट्रीय महत्व का प्रश्न अन्तर्ग्रस्त है तथा यह ऐसी प्रकृति का भी है कि ऐसे विवाद से इंडियन फारमर्स फर्टिलाइजर कोआपरेटिव लिमिटेड के एक से अधिक राज्यों में स्थित औद्योगिक प्रतिष्ठानों की अभिरुचि होने या उनके प्रभावित होने की सम्भावना है ;

और केन्द्रीय सरकार की राय है कि उक्त विवाद में राष्ट्रीय अधिकरण द्वारा न्यायनिर्णयन लिया जाना चाहिए;

अतः, अब केन्द्रीय सरकार—(i) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7-ख द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एक राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण गठित करती है, जिसके पीठासीन अधिकारी श्री एन० पी० सिंह होंगे, और जिनका मुख्यालय कलकत्ता में होगा; और

(ii) उक्त अधिनियम की धारा 10 की उप प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त औद्योगिक विवाद का उक्त राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है ।

अनुसूची

1. क्या इंडियन फारमर्स फर्टिलाइजर कोआपरेटिव लिमिटेड (इफको) के कर्मकारों की मजदूरी, वेतनमान और वेतन बढ़ोत्तरी की दरों में संशोधन किया जाना चाहिए? यदि हां, तो किस-किस तारीख से और उनका ब्यौरा क्या होगा?

2. क्या मंहगाई भत्ते के वर्तमान दर में संशोधन किया जाना चाहिए? यदि हां, तो तो किस तारीख से और उनका ब्यौरा क्या होगा?

3. क्या धुलाई भत्ते की वर्तमान दर में संशोधन किया जाना चाहिए? यदि हां, तो किस तारीख से और उनका ब्यौरा क्या होगा?

4. क्या छुट्टी यात्रा रियायत में संशोधन किया जाना चाहिए? यदि हां, तो किस तारीख से और उनका ब्यौरा क्या होगा?

5. क्या मकान किराया भत्ते की विद्यमान दर में संशोधन किया जाना चाहिए; और क्या इफको द्वारा दिए गए मकानों में रहने वाले श्रमिकों के मामले में मकान किराए की कटौती की दर में संशोधन किया जाना चाहिए? यदि हां, तो किस तारीख से और उनका ब्यौरा क्या होगा?

6. क्या नगर प्रतिपूरक भत्ते की दर में संशोधन किया जाना चाहिए? यदि हां तो किस तारीख से और उनका ब्यौरा क्या होगा?

7. क्या कैशियर हैण्डल करने वाले कर्मकारों को कैश हैण्डलिंग भत्ते का भुगतान किया जाना चाहिए ? यदि हां, तो किस तारीख से और उनका ब्यौरा क्या होगा ?

8. क्या पारी-भत्ते की दर में संशोधन किया जाना चाहिए? यदि हां, तो किस तारीख से और उनका ब्यौरा क्या होगा ?

9. क्या यात्रा भत्ते में संशोधन किया जाना चाहिए? यदि हां, तो किस तारीख से और उनका ब्यौरा क्या होगा ?

10. क्या दूसरे ग्रेडों में काम करने वाले कर्मकारों को अपने ग्रेड के वेतन के अतिरिक्त कार्यकारी भत्ते का भुगतान किया जाना चाहिए? यदि हां, तो किस तारीख से और उनका ब्यौरा क्या होगा ?

11. क्या अर्जित छुट्टी, बीमारी छुट्टी, आकस्मिक छुट्टी और सवेतन छुट्टी, जिनके लिए कर्मकार पात्र है, की संख्या में वृद्धि की जानी चाहिए? यदि हां तो उनका ब्यौरा क्या होगा ?

12. क्या श्रमिक अल्प छुट्टी के हकदार हैं ? यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या होगा ?

13. क्या श्रमिकों को उनके वेतननमान की अधिकतम सीमा के बाद अपनी वार्षिक वेतन वृद्धियां मिलनी चाहिए? यदि हां, तो किस तारीख से और उनका ब्यौरा क्या होगा ?

14. क्या श्रमिकों को अपने भाइयों और बहिनों पर किए गए डाक्टरी खर्चे की प्रतिपूर्ति का अनुमति दी जानी चाहिए? यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या होगा ?

15. क्या अंशदायी भविष्य निधि की वर्तमान दर में संशोधन किया जाना चाहिए? यदि हां तो किस तारीख से और उनका ब्यौरा क्या होगा ?

16. क्या प्रत्येक श्रमिक का जाब-वर्गीकरण यूनियन से परामर्श करके किया जाना चाहिए ?

17. क्या श्रमिकों की सेवानिवृत्ति आयु को 60 वर्ष तक बढ़ाया जाना चाहिए? क्या यूनियन के परामर्श से एक सेवानिवृत्ति योजना बनाई जानी चाहिए ?

18 क्या मकान निर्माण ऋण योजना, यूनियन के परामर्श से बनाई जानी चाहिए ?

[संख्या एल-51016/1/83-आई० (एंड ई० एस०एस०)]
वी० एस० एलावादी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LABOUR & REHABILITATION

(Department of Labour)

New Delhi, the 20th February, 1984

ORDER

S.O. 116(E).—Whereas the Central Government is of the opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the Indian Farmers Fertilizer Cooperative Ltd., and their workmen in respect of the matters specifitd in the Schedule hereto annexed ;

And whereas the said dispute involves a Question of national importance and is also of such a nature that industrial establishments of the Indian Farmers Fertilizer Cooperative Ltd., situated in more than one State are likely to be interested in, or affected by, such dispute ;

And whereas the Central Government is of opinion that the said dispute should be adjudicated by National Tribunal;

Now, therefore the Central—(i) In exercise of the powers conferred by Section 7B of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), hereby constitutes a National Industrial Tribunal with Headquarters at Calcutta and appoints Justice Shri M. P. Singh as its Presiding Officer, and

(ii) In exercise of the powers conferred by Sub-section (1A) of Section 10 of the said Act, hereby refers the said industrial dispute to the said National Industrial Tribunal for adjudication.

SCHEDULE

1. Whether the wages, pay scales and rates of increment of workers of IFFCO should be revised ? If, so, from what date and with what details ?

2. Whether the existing rates of Dearness Allowance should be revised ? If so, from what date and with what details ?

3. Whether existing rate of Washing Allowance should be revised? If so, from what date and with what details ?

4. Whether Leave Travel Concession should be revised ? If so, from what date and what other details ?

5. Whether the existing rate of House Rent Allowance should be revised? and whether the rate of deduction of House Rent in the case of workers living in houses provided by IFFCO should be revised ? If so, from what date and with what details ?

6. Whether the rate of City Compensatory Allowance should be revised ? If so, from what date and with what details ?

7. Whether workers handling cash should be paid cash Handling Allowance ? If so, from what date and with what details ?

8. Whether shift allowance should be revised? If so, from what date and with what details ?

9. Whether Conveyance Allowance should be rtvised ? If so, from what date and with what details ?

10. Whether workers performing jobs of other grades should be paid acting allowance in addition to their own grade pay ? If yes, from what date and with what details ?

11. Whethtr there should be any change in the number of days of earned leave, sick leave, casual leave and paid holidays to which a worker is entitled ? If so, the details thereof.

12. Whether the workers are entitled for short leave ? If so, the details thereof.

13. Whether workers should get their annual increments beyond the maximum of their scale of pay ? If so, from what date and with what details ?

14. Whether the workers should be allowed reimbursement of medical expenses incurred on their brothers and sisters ? If so, the details thereof.

15. Whether the existing rate of Contributory Provident Fund should be revised ? If so, from what date and with what details ?

16. Whether the job classification of each workman should be done in consultation with the Union ?

17. Whether the retirement age of workers should be increased to 60 years ? Whether a retirement scheme should be formulated in consultation with the Union.

18. Whether the House Building Loan Scheme should be formulated in consultation with the Union ?

[No. L-51016/1/83-I&E(SS)]
V. S. AILAWADI, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1984